उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

28 मार्च, 2008

सं0 एफ–9 (16)/आर.जी./2008/1258 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 2.2 में देखें:

(1) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(2 क)'' अनुज्ञप्तिधारी, निवेदन किये गये संयोजन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण करेगा तथा यदि यह साध्य हुआ तो अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 47 के अधीन उससे अपेक्षानुसार, आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा।

''(2 ख)'' यदि निरीक्षण करने पर अनुज्ञप्तिधारी को कोई त्रुटि मिलती है, जैसे कि संस्थापना पूरी नहीं की गयी है या कंडक्टर या जोड़ों के नंगे सिरों को इन्सुलेटेड टेप से उचित रूप से ढंका नहीं गया है या वायरिंग इस प्रकार की है कि वह संपत्ति/जीवन के लिए खतरनाक है, इत्यादि, तो वह संलग्नक I(ए) पर दिये प्रारूप में उचित रसीद प्राप्त कर उसी समय आवेदक को इसकी सूचना देगा।

यह विनियम दिनांक 05.04.2008 को गजट में अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान*तरण है, किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य है।*

''(2 ग)'' यदि आवेदन में सही व पूर्ण पता नहीं दिया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी इसे भी अभिलेखित करेगा साथ ही संपत्ति के समीप का सीमा चिह्न तथा जिस खंभे से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है उसकी संख्या भी अभिलेखित करेगा। भविष्य में मीटर रीडिंग व बिलिंग के लिए यह जानकारी आवश्यक है।

''(2 घ)'' आवेदक 15 दिनों के भीतर समस्त त्रुटियां दूर करवाएगा तथा पावती प्राप्त कर लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में विफल रहता है या त्रुटियों को दूर करने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने में विफल रहता है तो आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।

''(2 ड़)'' आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर कर देने की सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी सूचना प्राप्ति से 5 दिन के भीतर संस्थापना का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा तथा यदि पहले बतायी त्रुटियां अब भी विद्यमान पायी जाती हैं तो अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक I(ए) पर दिये प्रपत्र में उसे पुनः अभिलेखित करेगा तथा उसकी प्रति आवेदक या स्थल पर उपस्थित उसके प्रतिनिधि को सौंपेगा। तब आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार इसकी सूचना लिखित में तथा पावती प्राप्त कर दी जाएगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी की इस कार्यवाही से आवेदक व्यथित होता है तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है, जिसका अधिमत इस मामले में अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

''(2 च)'' अनुज्ञप्तिधारी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि परिसंपत्ति पर कोई देय बकाया तो नहीं हैं, तथा यदि ऐसा है, तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को 15 दिन के भीतर बकाया देय जमा करने होंगे तथा ऐसा न करने पर उसका आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार लिखित में इसकी सूचना उससे पावती प्राप्त कर दी जाएगी।

(2) खण्ड (3) के पहले वाक्य में ''अनुज्ञप्तिधारी आवेदित–संयोजन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण करेगा तथा यह साध्य पाया गया तो'' वाक्यांश को ''यदि परीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है या त्रुटियां दूर कर ली गयी पायी जाती है तथा कोई देय बकाया नहीं है या देय चुका दिये गये हैं'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) खण्ड–3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''(3 क) यदि आवेदक को, आवेदन की तिथि से 5 दिन के भीतर बकाया देयों के लिए कोई कमी का नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो आवेदित किया गया

भार संस्वीकृत कर लिया गया समझा जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से मना नहीं करेगा।''

3. मुख्य विनियम के विनियम 2.3 के उपविनियम 2.3.3 में:

(1) खण्ड (3) में ''10 दिनों'' शब्दों को ''दो बिलिंग चक्र'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

4. मुख्य विनियम के विनियम 3.1 के उपविनियम 3.1.2 में:

(1) खण्ड (6) के पहले वाक्य में ''घरेलू उपभोक्ता'' शब्दों को ''उपभोक्ता'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मुख्य विनियम के विनियम 4.1 में:

खण्ड (2) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्:
''अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 126 के अधीन, ऐसा संयोजन प्रदान करने वाले उपभोक्ता के अधीन उपयुक्त कार्यवाही भी कर सकता है।''

6. मुख्य विनियम के विनियम 5.1 में:

(1) उप–विनियम (5.1.1) के खण्ड (6) के लिए निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
''मीटर पर केवल पहली सील न पाए जाने पर या उसमें गड़बड़ी पर या मीटर के कांच के टूटे होने की पहली घटना पर तब तक चोरी का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि उपभोक्ता के उपभोग के पैटन से या किसी अन्य उपलब्ध साक्ष्य से इसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। तथापि, इसके पश्चात् सील के न पाए जाने से इसमें गड़बड़ी या मीटर के कांच के टूटे जाने को ऊर्जा की चोरी के संदिग्ध मामले के रूप में लिया जाएगा।''

(2) उप–विनियम (5.1.1) खण्ड (7) के लिए निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(7) यदि ऊर्जा की प्रत्यक्ष चोरी स्थापित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया जाता है तो, अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी जो आयोग द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिकृत हो या अनुज्ञप्तिधारी का कोई अन्य अधिकारी, यथास्थिति, जो कि इस प्रकार अधिकृत पद से उच्च पद का हो, ऊर्जा की ऐसी चोरी के पता लगने पर विद्युत की आपूर्ति तुरन्त काट देगा तथा परिसर से तार/केबल, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित सभी तात्विक साक्ष्य अभिग्रहित कर लेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी, चोरी का पता लगने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, उस अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के उपभोक्ता से संबंधित शिकायत दर्ज कराएगा।

(7 क) निरीक्षण की तिथि से दो कार्य दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अनुसार विशेष न्यायालय में उपभोक्ता के विरूद्ध मामला भी

दर्ज कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के अनधिकृत उपयोग से संबंधित विनियम 5.2 के उप–विनियम (5.2.3) के खण्ड (4) के अनुसार निर्धारण भी करवाएगा तथा उपभोक्ता को तामील कर उचित रसीद प्राप्त करेगा।

(7 ख) तथापि, उपरोक्त उप–विनियम (7ए) के अनुसार निर्धारण राशि या विद्युत प्रभारों के जमा या भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त उप–विनियम (7) में संदर्भित किये अनुसार शिकायत दर्ज कराने के दायित्व में बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटों के भीतर विद्युत की आपूर्ति लाईन बहाल करेगा।''

(3) उप–विनियम (5.1.2) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(4) जहां स्थापित हो चुका है कि मामला विद्युत की चोरी का है, वहां अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी जो आयोग द्वारा इस उद्‌देश्य हेतु अधिकृत हो या अनुज्ञप्तिधारी का कोई अन्य अधिकारी, यथास्थिति, जो कि इस प्रकार अधिकृत पद से उच्च पद का हो, ऊर्जा की ऐसी चोरी के पता लगने पर विद्युत की आपूर्ति काट देगा तथा परिसर से तार/केबल, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित तात्विक साक्ष्य अभिगृहित कर लेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी, चोरी का पता लगने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, उस अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के उपभोक्ता से संबंधित शिकायत दर्ज कराएगा।

(4 क) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अनुसार विशेष न्यायालय में चोरी का मामला भी दर्ज कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के अनधिकृत उपयोग से संबंधित विनियम 5.2 के उप–विनियम (5.2.3) के खण्ड (4) के अनुसार निर्धारण भी करवाएगा तथा उपभोक्ता को तामील कर उचित रसीद प्राप्त करेगा। उपभोक्ता को इसकी उचित प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना होगा।

(4 ख) तथापि, उपरोक्त विनियम (4 क) के अनुसार निर्धारण राशि या विद्युत प्रभारों के जमा या भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त विनियम (4) में संदर्भित किये अनुसार शिकायत दर्ज कराने के दायित्व में बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटों के भीतर विद्युत की आपूर्ति लाईन बहाल करेगा।''

(4) उपविनियम (5.1.3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''5.1.4 विद्युत के पथातरण, चोरी अथवा अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों या मीटर के साथ छेड़छाड़, उसे हानि पहुंचाना इत्यादि को रोकने के उपाय

(1) विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग, विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर के साथ छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाने के खतरे को कम करने तथा रोकने के लिए निवारक उपाय करना आवश्यक है।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, वार्षिक रूप से, अपने परिचालन क्षेत्र में कुल संयोजनों के कम से कम 20 प्रतिशत मीटरों के निरीक्षण व प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा।

(3) अनुाप्तिधारी प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत संयोजनों पर चोरी निरोधक मीटर बॉक्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले 5 वर्षों में सभी व्यक्तियों के परिसर पर संस्थापित मीटरों पर चोरी निरोधक मीटर बक्से लगे हों। अनुज्ञप्तिधारी, साथ ही साथ सेवा लाईनों की स्थिति की भी समीक्षा करेगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा करना उचित है तथा जहां–कहीं भी आवश्यक हो, वहां चोरी रोकने/मीटर को बायपास करना रोकने के लिए इसे बदला जाना चाहिए।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी या उसके अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाने को रोकना सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों के परिसर का नियमित निरीक्षण करने के लिए प्रयासों का विस्तार करेगा। कुल संयोजनों में न्यूनतम 5 प्रतिशत का वार्षिक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा धारा 126 एवं 135 के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(5) विशेष रूप से अधिक चोरी वाले इलाकों में अनुज्ञप्तिधारी की सतर्कता टीम द्वारा प्रत्यक्ष चोरी के मामलों का पता लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

(6) अनुज्ञप्तिधारी एक प्रणाली विकसित करेगा तथा उच्च मूल्य उपभोक्ताओं के उपभोग के नियमित मासिक अनुवीक्षण की तीन के भीतर उचित व्यवस्था करेगा, जिसमें 25 एच.पी. तथा इससे ऊपर की संविदा मांग वाले सभी एल.टी. संयोजन सम्मिलित होंगे। उपभोग में परिवर्तन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, संदेहास्पद मामलों के तुरन्त निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा कि 33 के0वी0 फीडर वार हानियों को पहले चरण में राज्य के बड़े नगरों, अर्थात् देहरादून, हल्द्वानी, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल के लिए अगले छः महीनों में ज्ञात किया जाए। जिला मुख्यालय नगरों के 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 के लिए हानियां अगले एक वर्ष के भीतर ज्ञात की जाएंगी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए अगले 2 वर्षों के भीतर। अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 फीडर के लिए अपने अधिकारियों पर व्यक्तिगत जवाबदेही नियत करेगा। प्राथमिक उत्तरदायित्व क्षेत्र के

स्थानीय अधिकारी पर तथा द्वितीय उत्तरदायित्व अगले स्तर के वरिष्ठ अधिकारी पर नियत किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी फीडरवार हानियों को कम करने के लिए कदम उठाएगा तथा इस मामले में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करेगा तथा हानियों में अपेक्षित स्तर की कमी न आने की दशा में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी को रोकने तथा उसके उपभोग के अनुवीक्षण के उद्‌देश्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर सभी एच.टी. संयोजनों पर सुदूर मीटरिंग साधन संस्थापित करने का प्रयास करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, वाणिज्यिक हानियों के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया, टी.वी. तथा समाचार पत्रों के माध्यम से समुचित प्रचार करने की व्यवस्था करेगा तथा विद्युत की चोरी को रोकने या इसके अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों या मीटर से छेड़छाड़ व इसको हानि पहुंचाना रोकने के लिए सहयोग मांगेगा। अनुज्ञप्तिधारी, अपने उपभोक्ता सेवा संबंधी कार्यालयों में उपरोक्त के बारे में सूचना के साथ बोर्ड भी लगाएगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी, वर्ष के दौरान फीडरवार हानियां, विद्युत के पथातरण, चोरी या अनाधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाना रोकने के लिए किये गये प्रयास, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, निरीक्षक अधिकारियों को उनकी संरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा बल प्रदान करने की व्यवस्था करेगा तथा ऐसे लेखे पर व्यय, अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं में पास थ्रू होंगे। ऐसे सुरक्षा दस्ते, निरीक्षक अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षक अधिकारियों के सदैव साथ जाएंगे।

(12) अनुज्ञप्तिधारी, उन संदिग्ध क्षेत्रों के वितरण प्रवर्तकों पर मीटर संस्थापित करने की व्यवस्था करेगा जहां विद्युत चोरी की संभावना विद्यमान है तथा वितरण प्रवर्तक से जुड़े व्यक्तिगत उपभोक्ता मीटरों में उपभोग के साथ ऐसे मीटरों के उपभोग का अनुवीक्षण करेगा। यदि वितरण प्रवर्तक मीटर के उपभोग तथा वितरण प्रवर्तक से जुड़े व्यक्तिगत उपभोक्ता मीटरों के उपभोग में असामान्य अन्तर है तो अनुज्ञप्तिधारी उन क्षेत्रों में व्यापक निरीक्षण करवाएगा।

(13) अनुज्ञप्तिधारी की लाइनों पर सीधे कांटा लगाकर चोरी को रोकने के लिए, जहां आवश्यक हो, अनुज्ञप्तिधारी, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में ऊपरी नंगे तारों के बदले

केबल डाल सकता है तथा इस लेखे में व्यय, अनुज्ञप्तिधारी के ए.आर.आर. में एक पास थ्रू होंगे।

(14) सीधे कांटा डालकर चोरी को रोकने के लिए, जहां आवश्यक हो, अनुज्ञप्तिधारी, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में लघु क्षमता प्रवर्तक का उपयोग कर एच.वी. वितरण प्रणाली (एल.टी. रहित प्रणाली) प्रदान कर सकता है। इस लेखे में व्यय, अनुज्ञप्ति के ए.आर.आर. में एक पास थ्रू होंगे।

(15) अनुज्ञप्तिधारी, वर्तमान उपभोक्ताओं के मीटरों को एक उपयुक्त अवस्थान पर इस प्रकार पुनःस्थित करने के लिए अधिकृत हैं कि वे परिसर से बाहर हों किन्तु चार दीवारी के भीतर हों तथा रीडिंग, परीक्षण, निरीक्षण या संबंधित अन्य कार्य के लिए आसानी से पहुंच योग्य हों।

(16) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर रीडर्स का चक्रानुक्रम इस प्रकार हो कि उनका मीटर रीडिंग का क्षेत्र, छः माह में कम से कम एक बार परिवर्तित हो।''

7. मुख्य विनियम के विनियम 5.2 में :–

(1) उपविनियम (5.2.2) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(4) यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.) किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का पूर्ण विवरण देते हुए उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस में समय तथा तिथि का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए तथा यह 7 दिन से कम न हो तथा स्थान जिस पर उत्तर जमा करना है तथा उस व्यक्ति का पदनाम जिसे यह उत्तर संबोधित करना है, का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।''

(2) उप–विनियम (5.2.3) खण्ड (2) के पहले वाक्य में ''अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा 15 दिन के भीतर कारण देते हुए आदेश पारित करेगा'' वाक्यांश को ''अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा ऐसे नोटिस की तिथि से तीस दिन के भीतर कारण देते हुए आदेश पारित करेगा'' वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप–विनियम (5.2.3) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(4) जहां यह स्थापित हो जाता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग किया गया है वहां अनुज्ञप्तिधारी, जिस अवधि में विद्युत का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है उस समस्त अवधि के लिए संलग्नक–X में दिये गये निर्धारण फॉर्मूला के अनुसार ऊर्जा के उपभोग का निर्धारण करेगा तथा यदि, जिस अवधि में ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है उस अवधि को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी अवधि

निरीक्षण के ठीक पिछले बारह महीने तक सीमित होगी तथा लागू शुल्क के अनुसार दोगुने पर अंतिम बिल तैयार करेगा तथा उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ताओं को बिल तामील करेगा। उपभोक्ता को उचित रसीद की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की वित्तीय तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान की तिथि आगे बढ़ा सकता है या किश्तों में भुगतान की स्वीकृति दे सकता है। राशि, बढ़ाई गयी अंतिम तिथि व/या भुगतान/किश्तों की समय सूची का कारण देते हुए आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कारण देते हुए आदेश की एक प्रति रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को भी दी जानी चाहिए।''

8. मुख्य विनियम में अध्याय 6 के पश्चात् अध्याय 7 के रूप में निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगाः–

''अध्याय 7 : व्यावृत्तियांः–

(1) जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझें, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

(2) कठिनाइयां दूर करने की शक्तियाः–
यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से संभवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है जो इन विनियमों से असंगत न हों।

(3) शिथिलिकरण की शक्ति–
आयोग स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति को उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलीकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।''

9. मुख्य विनियम में संलग्नक 1 के पश्चात् संलग्नक 1(क) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः–

संलग्नक 1 (ए)

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 47 एवं 48 का संदर्भ लें)

(अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाए)

अवरोध प्रतिरोध का परिणाम (फेज कंडक्टर व अर्थ के मध्य एक मिनट के लिए 500 वोल्ट्स दबाव डालकर नापा जाए)–

(1)	फेज व अर्थ के मध्य	फेज 1 व अर्थ	फेज–2 व अर्थ	फेज–3 व अर्थ

सावधानीः– फेज तथा न्यूट्रल या फेजेज के मध्य अवरोध–प्रतिरोध (Insulations Resistance) को उस समय न नापा जाए जब उपभोक्ता के उपकरण जैसे– पंखा, ट्यूब, बल्ब इत्यादि सर्किट में हों क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण का प्रतिरोध प्रदान करेंगे न कि संस्थापना के अवरोध का प्रतिरोध।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रदान किया गया है तथा यह टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 की अर्थिंग प्रणाली के साथ संयोजित किया गया है।

आपकी विद्युत संस्थापना में निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं। आपसे निवेदन है कि उन्हें 15 दिनों के भीतर अर्थात् .... तक दूर कर लें अन्यथा नये संयोजन के लिए आपका निवेदन व्यपगत हो जाएगा।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

दिनांकः– ....

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

परिसर का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मेरी उपस्थिति में किया गया है तथा

* मैं परीक्षण से संतुष्ट हूं।

* मैं परीक्षण से संतुष्ट नहीं हूं तथा विद्युत निरीक्षण के समक्ष अपील फाईल करूंगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यू0पी0सी0एल0 के परिसर पर भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 33 के अनुसार एक अर्थ टर्मिनल प्रदान किया है */नहीं किया गया है * तथा यह अर्थ टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 की अर्थिंग प्रणाली से जोड़ा गया है */नहीं जोड़ा गया है।*

दिनांक :– .... आवेदक के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

10. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007 मुख्य विनियम के संलग्नक 1 में संलग्नक 1.1 के रूप में जोड़ा जाएगा।

संलग्नक 1.1

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

अगस्त 07, 2007

संख्या एफ–9(12)/यूईआरसी/2007/434 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 (प्रधान विनियम) में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007" होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 4 (3) के खण्ड (क) में :–

(1) उपखण्ड (i) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–
''(खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम सम्मिलित होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा।)'

(2) उपखण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्:–

''परन्तु यदि आवेदक ऊपर (i) से (v) तक सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आवेदक से (बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के अतिरिक्त)पर क्रमशः विनियम 5 (10) में

दी गयी सारिणी 1 व विनियम 5 (10) के खण्ड (iii) के अनुसार प्रतिभूति राशि का तीन गुना प्रभार लिया जाएगा। परिसर का स्वामी, यदि उपभोक्ता से भिन्न है तो, ऐसे संयोजन के लिए किसी देय के भुगतान हेतु दायी नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि प्रथम परन्तुक के अधीन आ चुके मामलों में अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति की वर्ष में दो बार, अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल व पहली अक्टूबर को, समीक्षा व पुनर्निर्धारण करने तथा अगले बिलिंग चक्र के विद्युत बिल में इसका समायोजन करने का अधिकार होगा।

परन्तु यह भी कि यदि उपभोक्ता नियत समय के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गयी प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) के अनुसार, उपभोक्ता को तीस दिन का नोटिस देने के पश्चात् उस अवधि हेतु विद्युत आपूर्ति रोक सकता है जिस अवधि तक विफलता जारी रहती है।''

3. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में,

(1) उप–विनियम (2) के पहले वाक्य में ''आवेदन प्राप्ति की तिथि'' वाक्यांश के स्थान पर ''आवेदन प्रपत्र प्राप्ति की तिथि'' वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप–विनियम (7) के पहले वाक्य में वाक्यांश ''पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन की तिथि से'' के स्थान पर वाक्यांश ''पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की तिथि से'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप–विनियम (8) में वाक्यांश ''यदि निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं'' के स्थान पर वाक्यांश ''यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती या यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) उप–विनियम (8) के अंत में वाक्यांश ''पांच दिन के भीतर'' के स्थान पर ''आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर'' वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) उप–विनियम (10) के खण्ड (iii) के तीसरे वाक्य में ''दो माह के औसत उपभोग'' वाक्यांश के स्थान पर ''दो बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग'' वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(6) उप–विनियम (11) के खण्ड (ख) में वाक्यांश ''या बकाया देय धनराशि का शोधन, दोनों में से, जो बाद में हो'' के स्थान पर वाक्यांश ''या बकाया देय धनराशि के शोधन (वसूली) की तिथि या आवेदन की तिथि जो भी बाद में हो'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(7) उपविनियम (11) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगाः–
स्पष्टीकरणः– इस विनियम के लिए ''आवेदन'' से अभिप्राय है– आवश्यक प्रभारों के भुगतान व अन्य अनुपालनों को दर्शाते हुए दस्तावेजों के साथ उपयुक्त प्रपत्र में सभी तरह से पूर्ण आवेदन।

4. प्रधान विनियमों में विनियम 8 के पश्चात् विनियम 9 के रूप में निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगाः–

''9. व्यावृत्तियाँ

(1) जिस के लिए कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

(2) कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है, जो इन विनियमों से असंगत न हों।

(3) शिथिलिकरण की शक्ति

आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलिकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा,

(पंकज प्रकाश)
सचिव